

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

// ज्ञापन //

क्रमांक:- ...../तीन-9-4/2019(स.ले.द्वि) ग्वालियर, दिनांक:- /05/2020  
प्रति,

आयुक्त,  
जनसंपर्क संचालनालय,  
विज्ञापन शाखा, जनसंपर्क भवन,  
बाणगंगा रोड़, भोपाल (म.प्र.)

**विषय:-** सिविल न्यायालय परिसर डबरा में वाहन स्टेण्ड के संबंध में निविदा प्रकाशित कराये जाने बावत्।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि सिविल न्यायालय परिसर डबरा में 01 वर्ष हेतु वाहन स्टेण्ड ठेका लेने के इच्छुक व्यक्ति/पंजीकृत संस्था से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने हेतु निविदा 03 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर/नई दुनिया/पत्रिका में प्रकाशित की जाने हेतु आपकी ओर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्त निविदा शीघ्र अतिशीघ्र प्रकाशित करवाकर कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

**संलग्न:-** विज्ञापित की प्रति


54  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
ग्वालियर

पृष्ठांकन क्रमांक:- <sup>2199</sup> /तीन-9-4/2019(स.ले.द्वि) ग्वालियर, दिनांक:- <sup>14</sup> /05/2020

**प्रतिलिपि:-**

- 1- रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर उक्त निविदा बेबसाईट [www.mphc.gov.in](http://www.mphc.gov.in) पर सहपत्रों सहित अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
- 2- प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय ग्वालियर की ओर जिला न्यायालय ग्वालियर की अधिकृत बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
- 3- जिला नाजिर, नजारत अनुभाग ग्वालियर की ओर उक्त निविदा की एक प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि किसी निविदाकर्ता द्वारा दिनांक 11.06.2020 तक निविदा फॉर्म चाहे जाने पर 250/- रूपये नगद प्राप्त कर प्राप्ति की रसीद एवं निविदा फार्म निविदाकर्ता को प्रदाय करें।

**संलग्न:-** विज्ञापित की प्रति

  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
ग्वालियर

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

**निविदा आमंत्रण सूचना**

सिविल न्यायालय परिसर डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.) के लिए वाहन स्टेण्ड (संचालन हेतु) इच्छुक व्यक्ति/पंजीकृत संस्था से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। उक्त निविदा फॉर्म नजारात अनुभाग जिला न्यायालय ग्वालियर से कार्यालयीन समय पर दिनांक 11.06.2020 तक 250/- (दो सौ पचास) रुपये नगद जमा कर प्राप्त की जाकर उक्त निविदायें दिनांक 12.06.2020 तक जिला न्यायालय ग्वालियर के आवक-जावक शाखा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के नाम से प्रस्तुत की जा सकती हैं।

प्राप्त निविदाएं दिनांक 13.06.2020 को निविदाकर्ताओं/प्रतिनिधित्व की उपस्थिति में दोपहर 2.00 बजे जिला न्यायालय ग्वालियर में गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा की शर्तें एवं सम्पूर्ण जानकारी म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट [www.mphc.gov.in](http://www.mphc.gov.in) एवं जिला न्यायालय ग्वालियर की वेबसाईट [www.districts.ecourts.gov.in/gwalior](http://www.districts.ecourts.gov.in/gwalior) पर भी उपलब्ध है।

जिला एवं सत्र न्यायालय  
ग्वालियर

## वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु निविदा फॉर्म

निविदाकर्ता का नाम : .....

पता : .....

मोबाईल नं. : .....

आधार कार्ड नं. : .....

पेन कार्ड नं. : .....

उक्त कार्य का अनुभव यदि हो तो: .....

संस्था का रजिस्ट्रेशन यदि हो तो: .....

वाहन स्टेण्ड हेतु निविदाकर्ता द्वारा: .....

अपनी ओर से लगाई गई वार्षिक

बोली राशि (उक्त बोली की राशि

न्यूनतम 35000/- से कम नहीं होनी चाहिये)

### आवश्यक शर्तें

1- यह अनुबंध स्वीकृति आदेश जारी होने की दिनांक से 01 वर्ष के लिये किया जावेगा। इस अनुबंध को 02 माह अग्रिम नोटिस देकर किसी भी पार्टी द्वारा समाप्त किया जा सकता है। विभाग बिना कोई कारण बताये अनुबंध समाप्त कर सकता है।

2- वाहन स्टेण्ड की न्यूनतम वार्षिक शुल्क राशि 35000/- रुपये निर्धारित किया गया है। उससे कम की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

3- जिस निविदाकर्ता द्वारा निविदा में वार्षिक शुल्क सम्पूर्ण निविदाकर्ताओं से अधिक दर्शाया जायेगा एवं समस्त शर्तें स्वीकार होंगी उसकी निविदा पर सर्वप्रथम विचार किया जायेगा। निविदा स्वीकार होने पर निविदा की सम्पूर्ण राशि डीडी/चेक के माध्यम से एक मुश्त जमा की जावेगी।

4- वाहन स्टेण्ड की नवीन निविदा के संबंध में अमानत राशि हेतु 5000/- रुपये का डीडी/एफडीआर जिला न्यायाधीश महोदय ग्वालियर के नाम से निविदा फार्म के साथ प्रस्तुत की जाना होगी। जिस निविदाकर्ता की

निविदा निरस्त होगी, उसकी अमानत राशि लोटा दी जायेगी।

5— वाहन स्टेण्ड परिसर में ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

6— ठेके का उपठेका नहीं दिया जा सकेगा।

7— वाहन स्टेण्ड का ठेका आवंटन के संबंध में एकमात्र विवेकाधिकार जिला न्यायाधीश ग्वालियर का होगा।

8— वाहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। वाहन स्टेण्ड पर वाहन रखने के उपरान्त वाहन की चोरी होने की दशा में वाहन स्वामी को चोरी गये वाहन की राशि का भुगतान करना होगा।

9— किसी भी प्रकार की वाहन स्टेण्ड पर असमाजिक गतिविधियों में निविदाकर्ता के संलिप्त पाये जाने पर ठेका तत्काल निरस्त किया जावेगा एवं जमा अमानत/अनुज्ञा राशि राजसात कर ली जावेगी।

10— निविदाकर्ता द्वारा वाहन स्टेण्ड पर साफ-सफाई रखी जावेगी।

11— साईकिल/स्कूटर/दो पहिया/चार पहिया वाहन की पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगा :-

1.	साईकिल	—	5 रूपये
2.	स्कूटर/दो पहिया वाहन	—	10 रूपये
3.	चार पहिया वाहन	—	20 रूपये

12— ठेकेदार द्वारा वाहन स्वामी को वाहन रखने हेतु टोकन दिया जाना आवश्यक होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय नाम

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
ग्वालियर